भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5226

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

2 श्रावण, 1941 (शक)

डिजिटल संचार-साधनों पर निर्भरता

5226. श्री हेमन्त पाटिल :

डॉ. अमर सिंह :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बच्चों और वयस्कों द्वारा डिजिटल साधनों के उपयोग और उन पर बढ़ती निर्भरता के बारे में जानकारी है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या सरकार ने निजी व्यावसायिक दोनों प्रकार के क्षेत्रों में नागरिकों में डिजिटल और संचार साधनों पर बढ़ती निर्भरता का आकलन करने के लिए कोई आभारभूत अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष रहे हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में नागरिकों द्वारा डिजिटल और संचार उपकरणों के उपयोग को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ड.) क्या सरकार डिजिटल डिटॉक्स केंद्र स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)

(क), (ख) और (ग) : आज भारत सेवाओं की डिजिटल प्रदायगी पर ध्यान केंद्रित कर डिजिटल अवसंरचना तैयार करते हुए एक सक्रिय जनसामान्य केंद्रित कार्यक्रम के साथ एक वृहत डिजिटल शक्ति के रूप में उभर रहा है। फलस्वरूप डिजिटल समावेशन के परिणामस्वरूप डिजिटल सशक्तिकरण हुआ है, जहाँ प्रत्येक सामान्य व्यक्ति डिजिटल शासन का लाभ उठा रहा है। हाल ही में भारत भी एक ऐसा महत्वपूर्ण देश बन गया है, जहाँ सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का प्रसार हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म बातचीत की सुविधा उपलब्ध कराने वाला सबसे महत्वपूर्ण मीडिया बन गया है। सोशल मीडिया के विस्तार ने जागरुकता, कनेक्टीविटी, शिक्षा, स्वयं सहायता समूह, सूचना और अद्यतन और व्यापार संवर्धन के लिए भी स्वयं अपने तरीके से योगदान दिया है। यह सब इसलिए हो सका है क्योंकि वृहत डिजिटल अर्थव्यवस्था भौगोलिक सीमाओं के पार संचालित होती है।

सोशल मीडिया साइटों के प्रसार के साथ, कई वर्षों से ऑनलाइन जुड़े रहने की इच्छा बढ़ गई है। डिजिटल प्रौद्योगिकियों, जैसे कि सोशल नेटवर्क, ऑनलाइन शॉपिंग और गेम उपयोगकर्ताओं को अपनी साइटों पर बार-बार वापस बुलाने के लिए प्रभावपूर्ण और प्रेरणादायक तकनीकों का प्रयोग करते हैं। प्रौद्योगिकी को अन्य व्यक्तियों के साथ जुड़ने और अपनापन महसूस करने के लिए व्यक्ति की सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु डिजाइन किया जाता है।

(घ) : सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 में नागरिकों द्वारा निजी और व्यवसायिक जीवन में डिजिटल और संचार उपकरणों के प्रयोग को नियंत्रित करने का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 79 और इसके तहत अधिसूचित माध्यस्थों से संबंधित नियमावली प्रयोक्ताओं से किसी भी ऐसी सूचना को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड संशोधित करने, प्रकाशित, प्रसारित, अद्यतन या साझा नहीं करने की अपेक्षा करते हैं जो किसी भी प्रकार से हानिकराक, आपत्तिजनक, अवयस्कों के लिए नुकसानदेह या किसी भी रूप में गैर कानूनी है। उपयुक्त सरकार या इसकी एजेंसियों द्वारा इंटरनेट पर उपलब्ध विद्वेषपूर्ण सूचना सामग्री को हटाने/असक्त करने के लिए माध्यस्थों द्वारा यथोचित सावधानी बरतना अपेक्षित है।

एमईआईटीवाई अपने सूचना सुरक्षा शिक्षण और जागरूकता (आईएसईए) नामक एक कार्यक्रम के तहत डिजिटल और संचार उपकरणों के सुरक्षित और संरक्षित उपयोग हेतु सभी स्तरों के संबंधित मुद्दों पर प्रयोकता जागरूकता पैदा करता है। सूचना सुरक्षा जागरूकता के लिए समर्पित वेबसाइट (https;//www.infosecawareness.in) भी स्थापित की गई है।

(ड) और **(च)** : मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

******